न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 35/2021 दायर दिनांकः 18/08/2021

उनवान

1. रामकरण मीणा पुत्र मांगीलाल जाति मीणा निवासी बरलां हाल मुकाम हाउसिंग बोर्ड अटरू तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार, अटरू जिला बारां।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

उपस्थित :—

प्रार्थी :—विद्वान अभिभाषक श्री श्याम सुन्दर शर्मा।

आदेश दिनाकः 16/02/2022

पत्रावली पेश हुई, उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की आराजी ग्राम एवं माल बरला तहसील अटरू में खाता संख्या 149 की कुल किता 2 का रकबा 0.40 है0 खाता संख्या 176 की कुल किता 13 का रकबा 6.01 है0, खाता संख्या 175 की कुल किता 2 का रकबा 2.03 है0, खाता संख्या 73 की कुल किता 3 का रकबा 2.78 है0 भूमि शामलाती खाते दर्ज चली आ रही है। नकल जमाबन्दी संलग्न है जो काबिले गौर है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि में प्रार्थी का नाम रामकरण पुत्र मांगीलाल होते हुए भी पटवारी हल्का ने नामान्तरण दर्ज करते वक्त एक खाता संख्या 149 में रामचरण पुत्र मांगीलाल कर दिया है तथा अन्य खातों में रामकरण पुत्र मांगीलाल ही दर्ज है। जिससे प्रार्थी को ऋण प्राप्त करने, कृषि सुविधाओं का लाभ लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड रहा है तथा भूमि का विकास भी नहीं करवा पा रहा है। जिसे प्रार्थी दुरूस्त करवाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने का अधिकारी है। प्रार्थी ने दिनांक 28.07.2021 को श्रीमान तहसीलदार साहब से राजस्व रिकार्ड में हो रही त्रुटि को दुरूस्त करने का निवेदन किया तो श्रीमान तहसीलदार साहब ने माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थी के आधार कार्ड, राशन

कार्ड, वोटर आई डी, जन आधार कार्ड एवं बैंक खातों में तथा पंजीकृत दस्तावेज में प्रार्थी का नाम रामकरण पुत्र मांगीलाल दर्ज है। जो कि प्रार्थी का वास्तविक व सही नाम है। प्रार्थी इस अनुसार प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमियों में हो रही त्रुटियों को दुरूस्त करवाने का अधिकारी है। बिना सहायता न्यायालय राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त करवाया जाना संभव नहीं है। अस्तु माननीय न्यायालय में यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने तथा प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकार होने से उसे अप्रार्थी बनाया गया है। आराजी ग्राम बरला तह0 अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र राजस्थान टीनेंसी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर प्रार्थना पत्र पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र उचित न्यायशुल्क एवं अवधि मध्य पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा श्रवण योग्य है।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित भूमि खाता संख्या 149 में प्रार्थी का नाम रामकरण पुत्र मांगीलाल बाद दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जर्ये सम्मन की गई, अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने के कारण जवाब प्रार्थना पत्र बन्द किया गया। साक्ष्यवादी पेश नहीं करने के कारण साक्ष्यवादी बन्द किये गये।

अभिभाषक प्रार्थी की एक तरफा बहस सुनी, अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा निवेदन किया गया कि विवादित आराजी ग्राम एवं माल बरला तहसील अटरू में खाता संख्या 149 में प्रार्थी का नाम रामकरण पुत्र मांगीलाल बाद दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

रिकार्ड एवं साक्ष्य का अवलोकन किया गया संवत 2074–2077 की जमाबन्दी ग्राम बरला के खाता संख्या 149 में प्रार्थी का नाम सहखातेदार रामचरण पुत्र मांगीलाल हिस्सा 3/10 दर्ज रिकार्ड है। खाता संख्या 176 में सहखातेदार रामकरण पुत्र मांगीलाल हि0 7/30 दर्ज रिकार्ड है, ग्राम हानीहेडा के खाता 175 में सहखातेदार रामकरण पुत्र मांगीलाल हिस्सा 7/30 दर्ज है। ग्राम बलदेवपुरा के खाता संख्या 73 में सहखातेदार रामकरण पुत्र मांग्या हिस्सा 1/12 दर्ज है। अन्य दस्तावेज आधार कार्ड में प्रार्थी का नाम रामकरण मीणा पुत्र मांगी लाल, मतदाता

पहचान पत्र में रामकरण पुत्र मांगीलाल, परिवार राशन कार्ड में राम करण पुत्र मांगीलाल, जनआधार में रामकरण मीना दर्ज रिकार्ड है।

रिकार्ड के आधार पर सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना उचित प्रतित होता है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर. एक्ट न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल बरला तहसील अटरू में खाता संख्या 149 के ख0नं0 50/1016 रकबा 0.18 है0, ख0नं0 54 रकबा 0.22 है0 किता 2 रकबा 0.40 है0 में सहखातेदार रामचरण पुत्र मांगीलाल के स्थान पर रामकरण पुत्र मांगीलाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें।

निर्णय आज दिनांक 16.02.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां